न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 18/2018 **दायर दिनांकः 12/02/2018**

उनवान

1. श्यामसुन्दर मित्तल आयु 45 वर्ष पुत्र कल्याणमल मिततल जाति महाजन निवासी कवाई तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

वादी

बनाम

1. नाथूलाल आयु 50 वर्ष पुत्र धन्नालाल जाति बंजारा निवासी गणेश जी की छतरी के पास कवाई तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
2. शरद कुमार पुत्र कस्तूरचन्द जाति महाजन निवासी गऊघाट रोड कवाई तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
3. सूरजमल पुत्र किशनलाल जाति कलाल निवासी मेन रोड सालपुरा कवाई तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
4. राजेन्द्र कुमार पुत्र रामदयाल जाति ब्राहमण निवासी गऊघाट रोड कवाई तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
5. गोपीचन्द पुत्र लक्ष्मीचन्द जाति मीणा
6. नेमीचन्द पुत्र लक्ष्मीचन्द जाति मीणा
7. देवचन्द पुत्र लक्ष्मीचन्द जाति मीणा महुआखेडा पोस्ट कुण्डी तहसील अटरू जिला बारां।
8. बबलू पुत्र धन्नालाल जाति बंजारा निवासी गणेश जी की छतरी के पास कवाई तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
9. छोटूलाल पुत्र धन्नालाल जाति बंजारा निवासी गणेश जी की छतरी के पास कवाई तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
10. शंकरलाल पुत्र ताराचन्द जाति मीणा निवासी उम्मेदगंज पोस्ट मूसेनमाता तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
11. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0एक्ट0

उपस्थिति :–
वादीः–विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

आदेश दिनाकः 31/03/2022

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अर्न्तगत धारा 88, 89, 188 आर. टी. एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के वाके ग्राम एवं माल कवाई तहसील अटरू जिला बारां (राज०) में खाता संख्या 676 का ख0नं0 365 का कुल 1 किता का रकबा 0.77 है0 आराजी दर्ज खाता चली आ रही है। जिसमें वादी का हिस्सा 350/4320 पहले से दर्ज खाता है तथा वादी ने प्रतिवादी क्रम 1 से जर्ये रजिस्टर्ड बेनामा दिनांक 18.06.2014 को प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्सा 57/1440 में से 19/1440 हिस्सा क्रय किया है। जिसका नामान्तकरण वादी के पक्ष में अभी नही खुला है। नकल जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 एवं बेनाम आराजी की प्रति वाद पत्र के साथ संलग्न है। वाके ग्राम एवं माल कवाई की उक्त आराजी में वादी के पूर्व से 350/4320 हिस्सा अन्य सहखातेदारान के साथ दर्ज खाता चली आ रही है। सहखातेदार गोपीकृष्ण शर्मा पुत्र मदनलाल शर्मा जाति ब्राहमण निवासी पुलिस चौकी के पीछे प्रताप चौक बारां का न्यायालय श्रीमान से बंटवारा करके खाता अलग हो चुका है इसलिए सहखातेदार गोपीकृष्ण को पक्षकार नही बनाया गया है। बिना सहायता न्यायालय वादी के उसके द्वारा खरीदशुदा आराजी का नामान्तरण नहीं खुल सकता यदि वादी द्वारा खरीदशुदा आराजी का नामान्तकरण नही खुला तो वादी को अपरिमित क्षति होगी तथा प्रतिवादी क्रम 1 कभी भी वादी द्वारा खरीदशुदा आराजी पर कब्जा कर सकता है तथा आये दिन वादी को बेदखल करने की धमकी देता है। इसलिए वादी को वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में से उसके द्वारा प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्सा 57/1440 में से 19/1440 हिस्से की आराजी पर खातेदार कृषक घोषित किया जाना न्यायोचित है। जिसका वादी अधिकारी एवं नॉलिशी है। वादी प्रतिवादी क्रम 2 ता 10 से कोई अनुतोष नही चाहता है इसलिए इस वाद में प्रतिवादी क्रम 2 ता 10 को फोरमल पक्षकार बनाया गया है। उनकी तामील नही करवाना चाहता है। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा किये जा रहे अवैधानिक एंव गैर कानूनी कृत्य से रोका जाना संभव नही है। अगर प्रतिवादी क्रम 1 अपने अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य में सफल रहा और वादी के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी पर से प्रतिवादी

कम 1 द्वारा जबरन बेदखल कर दिया या आराजी को बेचान कर दिया तो वादी को अपने कब्जे काश्त की खरीदशुदा आराजी से वंचित होना पडेगा। जिससे वादी को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना संभव नही होगी तथा वादी को अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पडेगा। अस्तु वादी को जरिये रजिस्टर्ड बेनामा खरीद की गई खाता संख्या 676 का ख0न0 365 का कुल 1 किता का रकबा 0.77 है0 आराजी में से प्रतिवादी कम 1 के हिस्सा 57/1440 में से 19/1440 पर खातेदार कृषक घाषित किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादी का नाम दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादी कम 1 को जर्ये आदेशात्मक स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे किवह वादी को वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित खरीदशुदा आराजी पर से जबरन बेदखल नहीं करें तथा आराजी को रहन–बेचान नहीं करें तथा वह वादी को उसके द्वारा खरीदशुदा उक्त आराजी का शांतिपूर्वक उपयोग –उपभोग करने देवे जिसमें किसी प्रकार का व्यवधान न तो स्वयं करें न ही ऐसा कृत्य अपने प्रतिनिधियों से करावें इस हेतु यह वाद माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। वाद कारण प्रथम बार रजिस्टर्ड बेनामा से आराजी खरीद करने पर तथा नामान्तकरण वादी के नाम नहीं खुलने पर एवं अंतिम बार दिनांक 15.01.2018 को प्रतिवादी कम 1 द्वारा वादी को आराजी पर से बेदखल करने एवं बेचान करने की धमकी देने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षैत्र में उत्पन्न हुआ। राजस्थान सरकार भूमि धारी होने से जिला कलेक्टर महोदय बारां को धारा 80 सी0पी0सी0 का नोटिस मियादी 2 माह प्रेषित कर दिया है लेकिन मामला आवश्यक प्रकृति का होने से नोटिस की अवधि समाप्त हुये बिना ही राज सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू को प्रतिवादी कम 11 बनाकर यह वाद 80 (2) सी0पी0सी0 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर वाद की नियमित सुनवाई की जावे। विवादग्रस्त आराजी ग्राम कवाई तहसील अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है।

अतः माननीय न्यायालय मे वाद प्रस्तुत कर वादी विनयी है कि डिकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी कम 1 निम्न आश्य की सादिर फरमायी जावे कि:–

(अ) वादी के वाद पत्र की मद न० 1 में वर्णित ग्राम कवाई की खाता संख्या 676 का ख0नं0 365 का कुल 1 किता का रकबा 0.77 आराजी में प्रतिवादी कम 1 का हिस्सा 57/1440 में से 19/1440 खरीदशुदा आराजी पर खातेदार

कृषक घोषित कर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में नाम दर्ज करने का आदेश प्रदान करें।

(ब) प्रतिवादी क्रम 1 को इस आशय की जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पांबन्द फरमाया जावें कि वह वादी को वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी पर से बेदखल नही करें और न ही आराजी को रहन बेचान करें तथा वादी को उक्त वर्णित आराजी पर शान्तिपूर्वक उपयोग–उपभोग करने देवें जिसमें किसी प्रकार का व्यवधान न तो स्वयं करें न ही ऐसा कृत्य अपने प्रतिनिधियों से करावें।

(स) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी जर्ये सम्मन की गई, प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 10 बावजूद सूचना उपस्थित नही होने कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादी क्रम 10 द्वारा जवाब दावा पेश न करने के कारण जवाब दावा बन्द किया गया।

साक्ष्यवादी के तहत् PW_1 का शपथ पत्र पेश किया तथा रिकार्ड EXP करवाया गया। अभिभाषक वादी की एक तरफा बहस सुनी अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया तथा कथन किया गया कि ग्राम कवाई की खाता संख्या 676 का ख0नं0 365 का कुल 1 किता का रकबा 0.77 आराजी में प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 57/1440 में से 19/1440 खरीदशुदा आराजी पर खातेदार कृषक घोषित कर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में नाम दर्ज किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम कवाई के मूल ख0नं0 365 का रकबा 0.77 है0 था, जिसमें सहखातेदार गोपीकृष्ण पुत्र मदनलाल ब्राह्मण को हिस्सा 0.28 है0 पूर्व में ही पृथक होकर पृथक ख0नं0 2565/365 राजस्व रिकार्ड व नक्शे में दर्ज हो चुका है। मूल ख0नं0 365 के शेष रकबे 0.49 है0 में सहखातेदार राजेन्द्र कुमार पुत्र रामदयाल ब्राहमण का कुल हिस्सा 0.07 है0 पूर्व में ही पृथक होकर नये ख0नं0 2617/365 व 2626/365 रिकार्ड व नक्शे में दर्ज रिकार्ड हो चुका है। इस प्रकार मूल ख0नं0 365 के वर्तमान शेष 0.42 है0 भूमि के दो नवीन ख0नं0 2619/365 रकबा 0.04 है0 तथा 2618/365 रकबा 0.38 है0 प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 व 7 ता 12

के सहखातेदारी में दर्ज है। उक्त शेष रकबा 0.42 है0 में प्रतिवादी क्रम 1 का वर्तमान हिस्सा 4/42 दर्ज है जबकि वाद दायर होने के समय 38/720 हिस्सा दर्ज था, इसमें 19/1440 भाग यानी 0.01 है0 भूमि वादी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र डोक्यूमेन्ट नं0 2014002572 दिनांक 18.06.2014 को खरीदी थी। अतः प्रतिवादी क्रम 1 के वर्तमान में दर्ज हिस्से 4/42 मे से 1/42 यानी 0.01 है0 भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र डोक्यूमेन्ट नं0 2014002572 दिनांक 18.06.2014 के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल कवाई के ख0न0 365 का रकबा 0.49 है0 में प्रतिवादी क्रम 1 के वर्तमान हिस्से 4/42 में से 1/42 **अर्थात 0.01 है0** भूमि का वादी श्यामसुन्दर मित्तल पुत्र कल्याणमल मित्तल को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज **दिनांक 31/03/2022** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
<u>आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)</u>
बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 18/2018

उनवान

1. श्यामसुन्दर मित्तल आयु 45 वर्ष पुत्र कल्यागणमल मिततल जाति महाजन निवासी कवाई तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

वादी

बनाम

1. नाथूलाल आयु 50 वर्ष पुत्र धन्नालाल जाति बंजारा निवासी गणेश जी की छतरी के पास कवाई तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
2. शरद कुमार पुत्र किशनलाल जाति महाजन निवासी गऊघाट रोड कवाई तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
3. सूरजमल पुत्र किशनलाल जाति कलाल निवासी मेन रोड सालपुरा कवाई तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
4. राजेन्द्र कुमार पुत्र रामदयाल जाति ब्राहमण निवासी गऊघाट रोड कवाई तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
5. गोपीचन्द पुत्र लक्ष्मीचन्द जाति मीणा
6. नेमीचन्द पुत्र लक्ष्मीचन्द जाति मीणा
7. देवचन्द पुत्र लक्ष्मीचन्द जाति मीणा महुआखेडा पोस्ट कुण्डी तहसील अटरू जिला बारां।
8. बबलू पुत्र धन्नालाल जाति बंजारा निवासी गणेश जी की छतरी के पास कवाई तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
9. छोटूलाल पुत्र धन्नालाल जाति बंजारा निवासी गणेश जी की छतरी के पास कवाई तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
10. शंकरलाल पुत्र ताराचन्द जाति मीणा निवासी उम्मेदगंज पोस्ट मूसेनमाता तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
11. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0एक्ट0</u>

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....ग................ रूबरू..............ग..............................
बहाजिर :–
वादीः– विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।
मिनजानित मुदई रूबरू ....ग..

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल कवाई के ख0न0 365 का रकबा 0.49 है0 में प्रतिवादी क्रम 1 के वर्तमान हिस्से 4/42 में से 1/42 **अर्थात 0.01 है0** भूमि का वादी श्यामसुन्दर मित्तल पुत्र कल्याणमल मित्तल को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....ग.................... मुबालिक ....ग............... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......ग.............................
.... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....ग......................... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक **31.03.2022** को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)